

# बार एसोसिएशन ने मांगी माफी, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की अवमानना कार्रवाई

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट के एक जज की कोर्ट का बॉयकाट करने के न्यायिक बहिष्कार करने के अवमानना मामले में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर के अध्यक्ष व महासचिव पूरी कार्यकारिणी ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली है। एसोसिएशन ने आश्वस्त किया कि वे भविष्य में हड़ताल नहीं करेंगे। वहीं यदि कोई समस्या होगी तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशानुसार विधिपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। एसोसिएशन की ओर से शपथ पत्र और बार के प्रस्ताव को भी अदालत में पेश किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करने और सोपे पर रीस्टर में बदलाव नहीं करने की भी बात कही गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह व सजीव खन्ना की खंडपीठ ने बार एसोसिएशन को राहत देते हुए कार्यकारिणी के खिलाफ लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में अवमानना की कार्रवाई को रद्द कर दिया

■ सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में जयपुर हाईकोर्ट के वकीलों द्वारा एक जज की कोर्ट का न्यायिक बहिष्कार करने और एक दिन की हड़ताल के मुद्दे पर अवमानना का स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था

■ एसोसिएशन ने आश्वस्त किया कि वे भविष्य में हड़ताल नहीं करेंगे। यदि कोई समस्या होगी तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशानुसार विधिपूर्वक कार्रवाई की जाएगी

है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार व बेंच एक-दूसरे के पूरक हैं और दोनों के बीच सामंजस्य का होना जरूरी है। वहीं सद्व्यवहार के साथ ही कोर्ट का न्यायिक बहिष्कार करने के मुद्दे पर अवमानना का स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों व सदस्यों को अवमानना नोटिस जारी कर उन्हें तलब किया था। मामले में 17 नवंबर को सुनवाई के दौरान बार पदाधिकारियों ने मामले में माफी मांगने से इंकार करते कहा कि उन्होंने न्यायिक कार्य का बहिष्कार नहीं किया है। जबकि रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट में न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने की बात कही थी। इस पर अदालत नाराज हो गई और बार के अध्यक्ष व महासचिव सहित पदाधिकारियों व सदस्यों को व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश कर हाजिर होने का निर्देश दिया था।

चेयरमैन मनमिश्रा से भी चर्चा करते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के खिलाफ अवमानना के मामले को रद्द कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाईकोर्ट में बार व बेंच के बीच होने वाले विवादों के निपटारे के लिए हर हाईकोर्ट में एक ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी गठित करने के संकेत दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी में सीजे, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित अन्य सदस्य होंगे। इस कमेटी में विवाद का निपटारा नहीं होने

पर वकील विधिपूर्वक विरोध दर्ज करा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने गत सितंबर माह में जयपुर हाईकोर्ट के वकीलों द्वारा एक जज की कोर्ट का न्यायिक बहिष्कार करने और एक दिन की हड़ताल करने के मुद्दे पर अवमानना का स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों व सदस्यों को अवमानना नोटिस जारी कर उन्हें तलब किया था। मामले में 17 नवंबर को सुनवाई के दौरान बार पदाधिकारियों ने मामले में माफी मांगने से इंकार करते कहा कि उन्होंने न्यायिक कार्य का बहिष्कार नहीं किया है। जबकि रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट में न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने की बात कही थी। इस पर अदालत नाराज हो गई और बार के अध्यक्ष व महासचिव सहित पदाधिकारियों व सदस्यों को व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश कर हाजिर होने का निर्देश दिया था।

समय पर जवाब पेश नहीं करने पर चिकित्सा विभाग पर हर्जाना

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन नहीं देने के मामले में लंबित याचिका में बार-बार समय देने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने चिकित्सा विभाग पर दस हजार रुपए का हर्जाना लगाते हुए राशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने को कहा है। वहीं अदालत ने प्रकरण की सुनवाई तीन दिसंबर को तय करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि जवाब पेश नहीं किया गया तो प्रकरण को मेरिट पर सुनकर तय कर दिया जाएगा। जस्टिस महेंद्र गोयल ने यह आदेश रामचरण शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए।

सुनवाई में विभाग के अधिवक्ता ने जवाब पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 14 दिसंबर 2020 को जवाब के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया था। इसके बाद गत 14 अप्रैल 2021 को फिर से दो सप्ताह का समय देते हुए जवाब पेश करने का अंतिम मौका दिया गया था।

## 4 जिलों के पंचायती चुनाव में संगठन को मिलेगी टिकट वितरण में तवज्जो



प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने गुरुवार को चार जिलों के प्रभारियों की बैठक ली।

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री पद से हटने के बाद अब चार जिलों में पंचायत राज चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके संबंध में गुरुवार को उन्होंने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में संबंधित नेताओं और प्रभारी मंत्रियों की बैठक ली।

बताया जा रहा है कि बैठक में तय किया गया है कि टिकट वितरण के काम प्रभारी मंत्री और विधायकों की रायशुमारी के साथ ही टिकट वितरण में अब कांग्रेस संगठन की रायशुमारी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को चार जिलों श्रीगंगानगर, कोटा, बारां और करौली में होने वाले पंचायत राज चुनाव के लिए प्रभारी मंत्रियों के साथ ही संगठन के संभाग प्रभारियों और जिला प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में यह तय किया गया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी और जिलों के इंचार्ज के साथ हर पंचायत समिति में 1-1 कोऑर्डिनेटर लगाया

■ डोटासरा ने उम्मीद जताई कि जिस तरीके से पिछले पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी, उसी तरीके से इन चुनावों में भी सरकार के बेहतर काम पर जनता मुहर लगाएगी और चारों जिलों में कांग्रेस पंचायती राज चुनाव जीतेगी

जाएगा। ये अगले 3 दिन में अपने जिले और पंचायत समिति में विधानसभा वार जाकर फीडबैक लेंगे। यह फीडबैक विधायक, लोकल लीडर्स, एक्स एमएलए, प्रधान, जिला प्रमुख और संगठन के नेताओं से लिया जाएगा। यह सब पीसीसी की ओर से किया जाएगा। डोटासरा ने कहा कि प्रभारी मंत्री भी जिन जिलों के प्रभारी हैं। वह अपना फीडबैक संगठन को दे देंगे, जिससे कि बेहतर तरीके से टिकट वितरण हो सके। उन्होंने बताया कि जिलों में जाना, फीडबैक लेना और टिकट वितरण का काम करना अब पूरी तरीके से प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ही किया जाएगा। डोटासरा ने उम्मीद जताई कि जिस तरीके से पिछले पंचायती राज चुनाव

में कांग्रेस को जीत मिली थी, उसी तरीके से इन चुनावों में भी सरकार के बेहतर काम पर जनता मुहर लगाएगी और चारों जिलों में कांग्रेस पंचायती राज चुनाव जीतेगी। डोटासरा ने कहा कि प्रभारी मंत्री अशोक चांदना, टीकाराम जुली, बीडी कल्ला और लालचंद कटारिया को शामिल होना था, लेकिन इस बैठक में करौली के प्रभारी मंत्री अशोक चांदना और बारां के प्रभारी मंत्री टीकाराम जुली शामिल हुए। गंगानगर के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला के बैठक में नहीं आने पर गोविंद डोटासरा ने कहा कि उनका फोन स्विच ऑफ था। हालांकि लालचंद कटारिया को लेकर गोविंद डोटासरा ने कहा कि उनके परिवार में शादी होने के चलते वह इस बैठक में शामिल नहीं हो सके।

## जलदाय विभाग के संचालित कार्यों की रैंडम चैकिंग करने के निर्देश

जयपुर, (का.सं.)। जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने प्रदेश में विभाग के तहत संचालित होने वाले नियमित अभियानों में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यों की समयबद्ध रूप से 'रैंडम चैकिंग' सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हैण्डपम्प मरम्मत

■ परियोजनाओं में डेडलाइन की सख्ती से पालना हो : महेश जोशी

अभियान, नए हैण्डपम्प एवं ट्यूबवेल लगाने तथा जल परिवहन जैसे अभियानों में रैंडम चैकिंग आवश्यक रूप से हो, जिससे यह तय किया जा सके कि कार्य पूर्ण होने के बाद मौके पर जनता को उनका फायदा ठीक प्रकार से मिल रहा है।

डॉ. जोशी गुरुवार को जल भवन में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित पहली बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सर्विस डिलीवरी को किस प्रकार और बेहतर बनाते हुए राज्य में जनहित के सर्वश्रेष्ठ कार्य हो सकते हैं, विभागीय अधिकारी इस दिशा में भी सोचे और अपने सुझाव दें।

जलदाय मंत्री ने कहा कि सभी पेयजल परियोजनाओं में डेडलाइन की सख्ती से पालना की जाए और कार्यों में



जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने गुरुवार को जल भवन में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ पहली बैठक को सम्बोधित किया।

निर्धारित मानदंडों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण सामग्री का ही उपयोग हो, इसके लिए मॉनिटरिंग तंत्र को मजबूत बनाते हुए जांच एवं निरीक्षण की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) सहित सभी पेयजल परियोजनाओं के कार्यों को निर्धारित समयविधि में पूरा कर लोगों को लाभान्वित करने के लिए और सघन प्रयास किए जाए। उन्होंने प्रदेश में लंबित पेयजल परियोजनाओं के कार्यों में गैप के बारे में अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।

डॉ. जोशी ने बैठक में कहा कि

सभी अधिकारी जनप्रतिनिधियों से सतत संवाद रखें और उनके स्तर से आने वाले समस्त प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध समाधान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने आमजन की पेयजल सम्बंधी शिकायतों और समस्याओं को भी पूरी गम्भीरता से लेते हुए उन पर नियमित रूप से त्वरित कार्यवाही के निर्देश देते हुए कहा कि विभाग से सम्बंधित मुख्यमंत्री की घोषणाओं, बजट घोषणाओं तथा अन्य घोषणाओं के कार्यों को समय पर पूरा करने का भी पूरा फोकस हो।

जलदाय मंत्री ने कहा कि कच्ची

बस्तियों और कई स्थानों पर लीकेज की वजह से लोगों के उपयोग में आने से अधिक मात्रा में पानी व्यर्थ बह जाता है। प्रदेश में इस प्रकार की स्थितियों को रोकने के लिए हर संभव उपाय किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी अभियंता को अपने क्षेत्र में कहीं पर भी लीकेज के कारण पानी के अपव्यय की सूचना मिले तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। यदि लीकेज का प्रकरण किसी दूसरे अभियंता के क्षेत्र से सम्बंधित हो तो भी आपसी सामंजस्य से उसकी रिपेयर के लिए तत्काल उपाय किया जाए।

## रजिस्ट्री में फर्जी चालान बनाकर लोगों से ठगी करने वाला बदमाश गिरफ्तार

जयपुर (कासं)। शहर में विभिन्न उप पंजीयक (डिप्टी रजिस्ट्रार) कार्यालयों में फर्जी ई-चालान बनाकर मकानों की विक्रय पत्र पंजीयन (रजिस्ट्री) करवाकर सरकार को करोड़ों रूपयों का राजस्व नुकसान पहुंचाने के मामले में एक और आरोपी जितेंद्र कुमार शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई विशेष अनुसंधान दल ने की। मामले की जांच एडिशनल डीसीपी (क्राइम एंड विजिलेंस) करन शर्मा के सुपरविजन में तीन सदस्यीय टीम कर रही है।

जयपुर पुलिस कमिश्नर आनन्द श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी जितेंद्र कुमार शर्मा (27) निवासी प्लॉट नं. 83, श्री कृष्णा एन्क्लेव, गोविन्दपुरा सांगानेर का रहने वाला है। उसको गुरुवार को कोर्ट में पेश कर 28 नवंबर तक रिमांड पर लिया है। आरोपी से करोड़ों रूपए के

घोटाले में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बरामदगी और धोखाधड़ी कर प्राप्त की गई रकम की बरामदगी का प्रयास किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी जितेंद्र शर्मा पिंजारापोल गौशाला पर रिटिड-सिडि के नाम से टाईपिंग की दुकान चलाता है।

आरोपी जितेंद्र कुमार रजिस्ट्री करवाने वाले व्यक्तियों से रजिस्ट्री की सम्पूर्ण राशि नकद लेता था व अपना मेहनताना कमीशन के रूप में अलग से लेता था। आरोपी जितेंद्र रजिस्ट्री टाइप कर जयपुर कलेक्ट्रेट में स्थित उप पंजीयक कार्यालयों में जोगेंद्र कुमार व अर्जुन चौधरी से मिलकर फर्जी ई-चालान तैयार करवाकर रजिस्ट्री करा देता था। फर्जी तैयार किये गये ई-चालान की राशि को अन्य आरोपियों के साथ आपस में बांट लेते थे। इस संबंध में गत 1 अक्टूबर को बनीपार्क

थाने में प्रकरण सं. 134 / 21 दर्ज करवाया गया था। इससे पहले एसआईटी ने फर्जी ई-ग्रास चालान जीआरएन नंबर तैयार करने वाले अपराधियों को नामजद कर सबसे पहले गिरोह के एक सदस्य जोगेंद्र कुमार उर्फ जोगेंद्र कुमार को 30 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि इस गिरोह के सदस्यों ने उप पंजीयक जयपुर द्वितीय के कार्यालय में 105 दस्तावेजों का फर्जी ई-ग्रास चालान बनाकर सरकार को करोड़ों रूपए के राजस्व को हानि पहुंचाई थी। गिरोह के सदस्यों ने फर्जी चालान बनाकर रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों से करीब 9 करोड़ रूपए की राशि हड़प ली। जब लोगों के पास सब रजिस्ट्रार कार्यालय से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि जमा कराने के नोटिस पहुंचे, तब उनको ठगी का पता चला।

## एसएमएस अस्पताल में सर्जरी से अमेरिकी युवती की हाईट बढ़ाई

जयपुर । एसएमएस अस्पताल के डॉक्टरों ने अमेरिकी युवती की सर्जरी करके 15 सेमी. हाईट बढ़ाई है। एसएमएस हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर और हॉस्पिटल के पूर्व अधीक्षक डॉ. डी.एस. मीणा ने बताया कि एंजेलिना (नाम

परिवर्तित) की अनुवांशिक तौर पर हाईट छोटी है। रशियन तकनीक (लेंथिंग ओवर नेल) से सर्जरी करके पैरों की हाईट 15 सेमी. तक बढ़ाया गया है। इस सर्जरी में डॉ. राजकुमार हर्षवाल, डॉ. श्रीराम मीणा, डॉ. सोनाली ने भी सहयोग दिया।

# प्रताप नगर में 250 करोड़ की बेशकीमती जमीन पर हाऊसिंग बोर्ड ने लिया कब्जा

विभाग ने 27 वर्ष पहले अवाप्त की थी यह भूमि, मुआवजा कोर्ट में जमा होने के बावजूद भी खातेदार ने इस जमीन पर मैरिज गार्डन बनाकर कब्जा जमा रखा था

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने प्रताप नगर में करीब 27 साल पहले अवाप्त की हुई जमीन का गुरुवार को कब्जा लिया। कमिश्नर पवन अरोड़ा ने खुद मौके पर पहुंचकर इस जमीन पर बने मैरिज गार्डन को जेसीबी से तुड़वाया। जमीन का कब्जा लेते ही मौके पर आवासन मंडल की संपत्ति का साइन बोर्ड लगवाया गया है। इस जमीन का बाजार मूल्य करीब 250 से 300 करोड़ रूपए माना जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने

■ अदालत ने पिछले दिनों इस खातेदार की याचिका को खारिज करके जमीन अवाप्त को सही माना था

बताया कि प्रताप नगर में हल्दीघाटी मार्ग स्थित यह 9 बीघा 5 सेंटीमीटर जमीन साल 1994 में अवाप्त की थी। जमीन अवाप्त के बाद मुआवजा राशि कोर्ट में जमा करवा दी थी। उसके बाद भी खातेदार ने मौके से कब्जा नहीं छोड़ा। नवंबर 2009 में खातेदार ने जमीन पर मैरिज गार्डन बना लिया। साथ ही हाउसिंग बोर्ड की अवाप्त को चैलेंज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। इस याचिका पर सुनवाई के बाद पिछले दिनों कोर्ट ने अवाप्त को सही मानते हुए खातेदारों की याचिका को खारिज कर दिया।



प्रताप नगर करीब 27 साल पहले अवाप्त की हुई जमीन का हाउसिंग बोर्ड ने गुरुवार को कब्जा लिया। कमिश्नर पवन अरोड़ा ने खुद मौके पर पहुंचकर इस जमीन पर बने मैरिज गार्डन को जेसीबी से तुड़वाया।

हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद गुरुवार को इस बेशकीमती जमीन का मौके पर कब्जा अरोड़ा ने बताया कि इन लोगों को उस समय कम्परे बना रखे थे, जिन्हें जेसीबी से तोड़ा गया है। हाउसिंग बोर्ड इस जमीन की अवाप्त के बदले

प्रभावितों को अब नकद राशि के बजाए विकसित जमीन का मुआवजा देने की तैयारी कर रहा है। अरोड़ा ने बताया कि इन लोगों को उस समय जितना मुआवजा अवाप्त के समय मिला करता था, उतनी ही जमीन मुआवजे के रूप में दी

जाएगी। कार्रवाई के दौरान हाउसिंग बोर्ड के चीफ इंजीनियर के.सी. मीणा, राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दशरथ सिंह, संयुक्त महामसचिव गोविंद नाटाणी समेत अन्य अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे।